



सेवांत्तम प्रमाणित

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक

(मुरादाबाद / चन्दौसी / अमरोहा / बिजनौर)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

ऑफिस काम्पलेक्स (भूतल), सेक्टर-5, मझोला योजना संख्या-4, भाग-2,
मुरादाबाद ।

Email ID : emombd@upavp.com



पत्र सं०-

/ सं०प्र०-मुरादाबाद/

दिनांक-

/2025

प्रदेशन-पत्र

सेवा में,

महोदय/महोदया,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद(विरतार) के सेक्टर-..... में स्व: वित्त पोषित योजना-..... के अन्तर्गत प्रकार के भवनों हेतु दिनांक को सम्पन्न नम्बरिंग लाटरी ड्रा के माध्यम भवन संख्या..... आवंटित किया गया है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क- आवंटित सम्पत्ति का विवरण

- 1- आवंटित भवन की संख्या/श्रेणी
- 2- चालान संख्या
- 3- टाईप डिजाइन

सेमी-फिनिश

ख- सम्पत्ति का कुल मूल्य

1- भवन का निर्माण मूल्य	₹0
2- भवन में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल		
व०मी० का भूमि मूल्य ₹0		
प्र०वी०मी० (फ्री-होल्ड सहित)		
की दर से मूल्य	₹0
कुल मूल्य	₹0

ग- जी०एस०टी० के विरुद्ध देय धनराशि प्रतिशत की दर से भवन के विरुद्ध कुल मांग

₹0
₹0

घ- जमा धनराशि का विवरण

1- पंजीकरण धनराशि	₹0
2- किस्तों के विरुद्ध जमा धनराशि	₹0
3- कुल जमा धनराशि	₹0
4- दण्ड ब्याज के विरुद्ध समायोजित की गई धनराशि	₹0
5- दण्ड ब्याज समायोजित करने के उपरान्त किस्तों के विरुद्ध जमा धनराशि	₹0
6- दण्ड ब्याज के विरुद्ध असमायोजित धनराशि	₹0
ङ- जी०एस०टी० के विरुद्ध जमा धनराशि समायोजित	₹0
किस्तों के विरुद्ध जी०एस०टी० सहित जमा धनराशि	₹0

देय मांग के विरुद्ध जमा धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त देय धनराशि क्रमांक-ख के विरुद्ध ₹0 एवं क्रमांक-ग के विरुद्ध ₹0 देय हैं। कृपया क्रमांक-क एवं ग की धनराशि परिषद् की वेबसाइट www.upavp.in से अलग-अलग ई-चलान के माध्यम जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें। शेष नियम एवं शर्तें परिषद् नियमानुसार लागू होंगी।

च- विविध शुल्क

अ- विविध शुल्क के मद में दिनांक	तक जमा की जाने वाली धनराशि :
1- विक्रय विलेख शुल्क	₹0
2- साईट प्लान शुल्क	₹0
3- अन्य शुल्क/विज्ञापन व्यय (0.25 प्रतिशत की दर से)	₹0

5- जल शुल्क

रु०

- विविध शुल्क मद में जमा की जाने वाली कुल धनराशि रु०
- नोट : 1- च पर दर्शायी गई विविध शुल्क के क्रमांक-4 पर अंकित जी0एस0टी0 की धनराशि रु० पृथक ई-चलान एवं शेष धनराशि अलग ई-चलान के माध्यम से जमा कर रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 2- यदि जमा धनराशि में कोई अन्तर प्रतीत होता है तो जमा की रसीद प्रस्तुत कर जमा धनराशि का मिलान किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में प्रस्तुत कर समायोजन करा सकते हैं।
- 3- रु० 50,00,000.00 से अधिक की सम्पत्ति पर सम्पत्ति के कुल मूल्य का एक प्रतिशत धनराशि टी०डी०एस० के रूप में आयकर फार्म सं० 26क्यूबी पर आयकर विभाग में जमा की जायेगी तथा टी०डी०एस० जमा की सूचना फार्म सं० 16बी पर इस कार्यालय को देनी होगी। परिषद का पैन नं० AAJU0103A है।
- 4- कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रु० प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।
- 5- आरक्षित श्रेणी के आवंटियों को सक्षम स्तर से ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराते हुए स्व प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में 30 दिन के अन्दर शत-प्रतिशत जमा करानी होगी। किसी भी समय यदि जाति प्रमाण पत्र में असत्यता/झूठ/मिथ्या वर्णन पाया जाता है तो परिषद द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त करके नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
- 6- भूखण्ड का कब्जा पंजीकरण पुस्तिका में उल्लेखित अवधि के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, रुहेलखण्ड-03 मुरादाबाद के कार्यालय द्वारा हस्तगत किया जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने की अन्तिम तिथि है।

1. पंजीकरण हेतु ऑन लाईन किये गये आवेदन की छायाप्रति जमा करें।
2. राजपत्रित अधिकारी जिसमें अधिकारी व नाम व पदनाम तथा विभाग के नाम का उल्लेख हो, की सील सहित प्रमाणित अपने हस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका नाम व पता अंकित हो दो प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करें। एवं एक नग फोटो स्वयं प्रमाणित कराते हुए आवंटी को अलग से ऑनलाइन फार्म पर चस्पा हेतु देना होगा।
3. परिषद की वेबसाईट www.upavp.in माध्यम से जमा की गयी धनराशि की रसीद भी प्रस्तुत करें।
4. आवंटित भवन के विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु रु० के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुख्य कोशाधिकारी, मुरादाबाद से स्वयं के नाम से क्रय कर तथा रु० 100/- + रु० 100/- के दो स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर शासनादेश के क्रम में परिवर्तनीय है। स्टैम्प पेपर/ई-स्टैम्प पेपर स्वयं टंकित कराकर प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रु० 10/- के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. आधार कार्ड व अन्य आईडी की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं (नाम)..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... उम्र.....वर्ष निवासी.....

निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ :-

1. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः अंशतः मुरादाबाद नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त स्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष..... को वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे/पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। कुल रु० से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम)..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

शपथी

दिनांक :

प्रमाणित
प्रमाणित मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी